

कार्यालय -जिला वेरसिक शिक्षा अधिकारी, कानपुर नगर।

पत्रोंक - /प्र०५१०५०-४/ ८७०५-११ / २०१८-१९

दिनांक १९.५.१८

प्रबन्धक

एम्डीएम्पीएसी प्रिमियम स्कूल
चत्तमरा कानपुर नगर
कानपुर।

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के उप नियम (4) के अन्तर्गत विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण - ५३।

महोदय,

शासनादेश रो-४१९/७९-६-२०१३-१०(२०)/११ दिनांक ०८-०५-२०१३ में निर्दिष्ट कार्यक्रम द्वारा निर्दिष्ट के अन्तर्गत निःशुल्क शिक्षण से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पर और हस संघर में जाओ अधिकारी के निर्देशनामान उपलब्ध कराई गई निरीक्षण अख्याता के अलावा मैं भृष्टलीय मान्यता समिति की दैतक दिनांक १०-०५-२०१८ को लिए गए निर्णय के आधार पर मैं एम्डीएम्पीएसी प्रिमियम स्कूल चत्तमरा कानपुर नगर को २०१८-१९ से १ से कक्षा ८ तक के लिए अनंतीम मान्यता प्रदान करने की समृद्धना दता हूँ। उपरोक्त निःशुल्क निम्नलिखित शहो के पूरा किये जाने के अध्यायों हैं-

- १-मान्यता वी भजी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा ८ के व्यावहारिक मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई वायरल विधिक्षण नहीं है।
- २-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाध्यक्ष १) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 (उपाध्यक्ष २) के उपलब्धों का पालन करेगा।
- ३-विद्यालय प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के २५ प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों का प्रदेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा ही जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- ४-पैसा-३ में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-१२ की तर्फ धारा (२)के उपलब्धों के अनुसार प्रतिपूर्वित फिया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्विताएँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- ५-सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संस्थक को किसी रकीमिंग उचिता के अध्ययीन नहीं करेगा।
- ६-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सहूल न होने के कारण प्रदेश देने से इन्कार नहीं करेगा, और वह अधिनियम की धारा-१५ के उपलब्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित समिश्रित करेगा।
 - i. दोष तिरी मात्र किसी भी बालक को विद्यालय में सभी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में कैल नहीं किया जायेगा।
 - ii. किसी भी बालक को शारीरिक दड़ या नानारोक उत्पीड़न के अध्यायीन नहीं किया जायेगा।
 - iii. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक ने कोई तोड़ परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा की जाएगी।
- iv. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम २५ के अधीन अधिकाधित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।
- v. अधिनियम के उपलब्ध के अनुसार निःशुल्क प्रत्येक आपरायकाताओं वाले पितृविधियों को प्रदेश दिया जायेगा।
- vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-२३ (१)के अधीन यथा अधिकाधित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यालय अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अहंतायें नहीं हैं, पौंछ वर्ग की अवधि के भीतर न्यूनतम अहंतायें आंजेत करेग।
- vii. अध्यापक अधिनियम की धारा २४ (१) के अधीन विनियोजित अपने कलंबों का पालन करता है, और
- viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलायों में नियोजित नहीं करेगे।

- 7- विद्यालय समूचित प्राधिकारी हारा अधिकाधित पाठ्यचयों के आचार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा १९ में यथा विनियोजित विद्यालय के मानकों और सन्नियनों को बनाए रखेगा। अनियम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रस्तुतियां निम्नान्वतार हैं-

क्र०सं०	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधायें	विवरण
१	विद्यालय परिसर का होतकल	4126.45 वर्ग मी०
२	कल निर्मित हेत्र	3143.75 वर्ग मी०
३	कौड़ा रबत का क्षेत्रकल	3000 वर्ग मी०
४	बढ़ाओं की संख्या	14
५	प्रायापक-सह कार्गीतान-सह भृष्टारामार के लिए कक्षा	4
६	बालक/बालिकाओं के लिए पृथक शैक्षालय	4/४
७	पेय पल सुविधा	सदमारोदल वार्ष उपलब्ध
८	बढ़ा रहे पक्ष	मात्रा नहीं दिया जाएगा
९	अध्यापक पठन सामग्री/कौड़ा रबत उपस्थिति/प्रबन्धक	उपलब्ध है। Principal

M.D.M. PUBLIC SCHOOL
CHHATMARA, KANPUR

M.D.M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)

Om

Mr. Pathi

कृष्ण नहा

MANAGER

- 9-विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई और गांधी का प्राप्त कलाई नहीं छलाई जायेगी।
 - 10-विद्यालय भवनों या रेलवे टाउन या घौम स्टॉप का प्रयोग केवल शिक्षा और वौशल विकास के प्राप्ति के लिए किया जाता है।
 - 11-विद्यालय को तोराहाड़ी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीड़िक्युल किसी तोराहाड़ी के हाथ या तद्वारा प्रमुख किसी विधि की अधीन नहिं किसी तोर या तद्वारा बताया जा रहा है।
 - 12-स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या समग्र या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं बताया जा रहा है।
 - 13-टिकानवाय ये लेखाचूपी ती नियमी बातें पुकार-तैर द्वारा बारीका नहीं जानी जाती हैं। और उसके हाथ प्रभावित शिक्षा विकास विभाग अधिकारी उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष शिक्षा विभाग अधिकारी ने भेजी जानी चाहिये।
 - 14-आपको विद्यालय को आवृत्ति मानवाता कोड संख्याक ३०६० रखल/अंगैरी माध्यम/2018-19/44 है। यहां इसी नंबर के लिए और इस कार्यालय के साथ किसी प्रबन्धार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
 - 15-विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेश/शिक्षा बोर्डिंग शिक्षा अधिकारी द्वारा अप्रैक्षित हो और नमूनित जाता है। एकादीच प्राप्तिकारी के लिए जन्मदेवता का मालान करता है। जो मानवाता सम्बन्धी बातें के रहना अनुमति द्वारा नहीं दिया जायेगा।
 - 16-सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
 - 17-संलग्न उपादन्य के अनुसार अन्य कोई शर्त।
 - 18-विद्यालय में शिक्षण कार्य टी०५०टी० उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तब्द्य गोपन प्रबन्धालात्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होते।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर नगर।

पूर्वों प्रतिक्रिया-4 / 5705-14 / 2018-19 तददिनांक

- प्रातालाप-गम्भाकित को सूचनार्थ एवं आदशक कार्यपादी है।

 - 1— शिक्षा निदेशक (प०) उत्तर प्रदेश निशातगज लखनऊ।
 - 2— संसित वेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश हलाहाल।
 - 3— मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (प०) कानपुर मण्डल कानपुर।
 - 4— जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
 - 5— अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
 - 6— पिछड़ा वर्म कल्याण अधिकारी कानपुर नगर।
 - 7— राबधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर नगर।
 - 8— कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

लग्न सुना लाता
— MANAGER
M.D.M. PUBLIC SCHOOL
CHHATMARA, KANPUR

ripatti
Principal
M. D. M. Public School
Chhatmara, Kanpur (U.P.)